न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी :– श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 95अ / 2019

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
छमुदेवी पत्नी श्री नारायणराम जाति जाट निवासी शिवनगर घेवडा तहसील तिवरी जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी।

वादीनी अधिवक्ता :– श्री राजेन्द्र चौधरी

प्रतिवादी अधिवक्ता :– सरकारी पैरोकार।

–:निर्णय:–

दिनांक [illegible]

वादीनी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का माननीय न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है – सरहद मौजा शिवनगर पटवार हल्का घेवडा तहसील तिवरी के खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादीनी व अन्य खातेदारान की खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि मे वादीनी के पति नारायणराम द्वारा अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बख्सीस दिनाक 27.11.2014 को की गई जो उप पंजीयक कार्यालय ओसिया मे पंजीबद्ध है। जिसमे वादीनी का नाम छमुदेवी दर्ज है परन्तु बख्सीस नामा का नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त वादीनी का नाम घमुदेवी दर्ज है कर दिया गया। जबकि वादीनी का सही नाम छमुदेवी है। उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादीनी के आधार कार्ड परिचय पत्र राशन कार्ड आदि मे उनका नाम छमुदेवी पत्नी श्री नारायणराम है जबकि वादीनी का बख्सीस की गई भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त भूलवश वादीनी का नाम घमुदेवी पत्नी श्री नारायणराम दर्ज कर दिया इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रकर्ड मे दर्ज है। जबकि वास्तव में वादीनी का नाम छमुदेवी है। इसलिए वादीनी वादग्रस्त भूमि के राजस्व [illegible] दर्ज घमुदेवी के स्थान पर छमुदेवी पत्नी श्री न[illegible] वादीनी का अपने हक हिस्से की भूमि मे विक्रय [illegible] न हो। वादीनी के आधार कार्ड राशन कार्ड परिचय पत्र आदि की फोटो प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ सलग्न है। इस प्रकार राजस्व रकर्ड मे दर्ज वादीनी का गलत नाम के स्थान पर सही नाम दर्ज करना आवश्यक है। वाद कारण दिनाक 02.08.2019 को उस वक्त पैदा हुआ जब वादीनी ने हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:27 IST
Reason: SelfAttested

अपनी भूमि की नकल प्राप्त की तब वादीनी को ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड मे वादीनी का नाम घमुदेवी पत्नी नारायणराम दर्ज है तो वादीनी ने प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम शुद्ध दर्ज करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि न्यायालय से आदेश लाना होगा, तब पैदा हुआ हुआ जो निरन्तर आज भी विद्यमान है। वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा शिवनगर पटवार हल्का घेवडा तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज वादीनी का नाम घमुदेवी पत्नी नारायणराम के स्थान पर छमुदेवी पत्नी श्री नारायणराम के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

यह है कि वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। वादीनी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो रेकर्ड पर लिये गये।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। वादीनी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वादीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का घेवडा, तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में घमुदेवी पत्नी नारायणराम के स्थान पर छमुदेवी पतनी श्री नारायणराम का दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 3/4/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:42 IST
Reason: SelfAttested